

तारीख हुक्म

हुक्म या कांयवाही मय इनिशियल जज

06⁵/₂₄

पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई।
वक्तुलाय उपाधित। पत्रावली के अवलोकन से
ज्ञात है कि मूल वाद में दि:- 18/8/2024 को
विभाजन की प्राथमिक डिली जारी हो चुकी है।
प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में विभाजन
की प्राथमिक डिली जारी हो जाने से अस्थायी
निषेधाज्ञा के पार्थक्य पत्र का कोई औचित्य
नहीं रह जाता है। लिहाजा T.1 पार्थक्य पत्र
खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल नुमार
होकर नंबर से कम है।

3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, चाली